



स्वास्थ्य विभाग जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा

Phone No. / Fax No. - 06476-224266
Website- www.dhs-madhepura.org
e-mail-dhsmadhepura@gmail.com
Address : Sadar Hospital Campus, Madhepura



-: नियुक्ति-पत्र :-


राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-2812 दिनांक-05.05.2015 एवं अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-3407 दिनांक-26.05.2015 के आलोक में चयनित यूनानी आयुष चिकित्सकों को निम्न शर्तों के अधीन निर्धारित मानदेय के अनुसार संविदा के आधार पर नियोजन किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्न है :-

Sl. No	Roll Number	Name of the Candidate	Father/ Mother/ Husband's Name & Address	Final Status of the docket	Selection Category	Posting Palace
01	02	03	04	05	06	07
1	1420556	Md Aslam	Md. Abdul Zaffar, Vill.-Fauladpur, PO-Ratni bazar, PS-Sakurabad, Dist.-Jahanabad	Cleared	EBC	Bihariganj
2	1420354	Md Hasnen	Md. Kalimuddin, Vill.-Arwal Sipah, PO+PS-Arwal, Dist.-Arwal (804401)	Cleared	EBC	Chausa
3	1420362	Md. Arshdullah	Md. Samiullah, Vill.-Makhdumsaray, Laheri tola, PO+PS+ Dist-Siwan,(841226)	Cleared	EBC	Alamnagar
4	1420514	Nikhat Imam	Md. Habiburrahman, Vill.-Gudribazar, Salapatganj, PO-Chhapra, PS-Bhagwan bazar, Dist.-Saran(Chapra)	Conditionally	RCG	Murho Madhepura
5	1420035	Imtiyaj Alam	Md. Akhtar Alam, Vill.+PO-Govindpur bazar, Dist.-Purvi champaran	Cleared	BC	Kumarkhand
6	1420246	Shabnam Parween	Md. Ansharilal, Vill.-Mehdinagar, samanpura, Rajabazar, PO-Bihar Bhetnary College chowk, Dist.-Patna	Cleared	RCG	Puraini
7	1420616	Mamta Bharti	Jagjivan Paswan, Vill.-Kaup, PO-Kaup, Dist.-Bhojpur (Bihar)	Cleared	SC	Gamharia

शर्तें :-


01. संविदा के आधार पर यूनानी आयुष चिकित्सकों को नियमित नियुक्ति मान्य नहीं होगी। यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ, औपबंधिक तथा अस्थायी रूप से है।
02. यूनानी आयुष चिकित्सकों को मो०-20,000/- (बीस हजार) रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

03. यूनानी आयुष चिकित्सकों का अनुबंध मात्र 11 (ग्यारह) माह के लिए है, यदि भविष्य में किसी कर्मी का स्थानान्तरण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा अन्यत्र दूसरे जिला में किया जाएगा तो उस परिस्थिति में उसका अनुबंध नवपदस्थापित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नये सिरे से किया जाएगा तथा उसके पूर्व पदस्थापित जिला का अनुबंध स्वतः समाप्त समझा जाएगा।
04. यूनानी आयुष चिकित्सकों का भविष्य में आवश्यकता नहीं रहने पर या पी0आई0पी0 के अंतर्गत पदों की स्वीकृति नहीं होने पर या सेवा असंतोषप्रद पाए जाने पर किसी भी अन्य कारण से संविदा के आधार पर अनुबंधित यूनानी आयुष चिकित्सकों का अनुबंध एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
05. संविदा के आधार पर अनुबंधित यूनानी आयुष चिकित्सक का अभ्यावेदन के साथ इस आशय का इन्डेमनिटी बॉन्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे तथा भविष्य में हटाए जाने पर वे किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।
06. यूनानी आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति के पूर्व यह शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि यदि जांच के उपरांत डिग्री/डिप्लोमा या कोई भी अन्य प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जाता है तो उनपर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा कार्यरत अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि को ब्याज सहित वापस ली जाएगी।
07. यूनानी आयुष चिकित्सक नियुक्ति पत्र प्राप्ति की तिथि से तीन दिनों के अंदर उपरोक्त कॉलम में अपने नाम के सामने अंकित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में योगदान समर्पित कर कार्य प्रारंभ करेंगे। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं समर्पित करने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।


 सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
 जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।


ज्ञापांक-DHS/229-I/RBSK/286/14-15/...3.3.2..., मधेपुरा, दिनांक-11-06-2015

प्रतिलिपि :- संबंधित यूनानी आयुष चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


 सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
 जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।

ज्ञापांक-DHS/229-I/RBSK/286/14-15/...372..., मधेपुरा, दिनांक-11-06-2015

- प्रतिलिपि :- जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/स्वास्थ्य प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कोशी प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, स्वास्थ्य -सह- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा।